राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 375/2023

विक्रमा पी. वी. मोचेरला पुत्र मोचेरला सूर्यनारायण राव, निवासी 2497, क्यूरी सीटी ओखिल वीए, 20171 विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री मोचेरला सूर्यनारायण राव के माध्यम से।

- - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. सुश्री पंखुड़ी अरोड़ा पुत्री श्री शिव अरोड़ा, निवासी 647 ए बीस दुकान आदर्श नगर जयपुर 302004

3. श्री शिव अरोड़ा, निवासी 647 ए बीस दुकान आदर्श नगर जयपुर 302004।

4. सुश्री बेला एस अरोड़ा पत्नी श्री शिव अरोड़ा, निवासी 647 ए बीस दुकान आदर्श नगर जयपुर 302004।

5. पुलिस अधीक्षक, जयपुर (पूर्व)

6. थाना प्रभारी, पुलिस थाना, आदर्श नगर, जयपुर (पूर्व)

- - - उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री शादान फरासत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री तरूण अग्रवाल, श्री भास्कर अग्रवाल, सुश्री मिताली करवा द्वारा सहायता प्राप्त
उत्तरदाता (ओं) के लिए	:	श्री वी.आर. बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री स्नेहदीप ख्यालिया, सुश्री सोनल सिंह, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।
राज्य के लिए	:	श्री राजेश चौधरी, जी.ए.-कम-ए.ए.जी., श्री अमन कुमार, ए.ए.ए.जी. के साथ

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

माननीय श्रीमान जस्टिस पंकज भंडारी
माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

आरक्षित तिथि	::	**19/11/2024**
उच्चारण	::	**05/12/2024**
समाचार-योग्य		

(पंकज भंडारी, जे द्वारा)

1. याचिकाकर्ता ने अपने पुत्र की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग करते हुए यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

2. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग बच्चे रुद्र मोचेरला को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की अवैध हिरासत से मुक्त करने और उसे उसके जन्म और नागरिकता वाले देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, वापस भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा, रुद्र के सभी आधिकारिक दस्तावेज़, जिनमें उसका मूल पासपोर्ट, वीज़ा आदि शामिल हैं, याचिकाकर्ता को सौंपने का भी अनुरोध किया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शादान फरासत, जिनकी सहायता श्री तरुण अग्रवाल कर रहे हैं, ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पुत्र रुद्र का जन्म 27.06.2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह एक अमेरिकी नागरिक है और उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी पासपोर्ट है। 19.09.2018 को, याचिकाकर्ता का तीन महीने से भी कम उम्र का पुत्र अपनी माँ के साथ 23.12.2018 की वापसी टिकट पर भारत आया। हालाँकि, माँ ने अपने बेटे के साथ अमेरिका लौटने के बजाय, 17.11.2018 को पारिवारिक न्यायालय में हिंदू

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 7, 10 और 11 के अंतर्गत एक याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया है कि जब प्रतिवादी नंबर 2 अमेरिका नहीं लौटा, तो याचिकाकर्ता ने अपने बेटे रुद्र की हिरासत की मांग करते हुए 27.12.2018 को फेयरफैक्स काउंटी, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस. कोर्ट) के किशोर और घरेलू संबंध जिला न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। यू.एस. कोर्ट के समक्ष हिरासत के लिए दायर आवेदन को 30.07.2019 को अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम हिरासत आदेश पारित किया गया। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 06.11.2020 को खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसे याचिकाकर्ता ने 16.03.2023 को सर्वोच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन संख्या 1753/2023 (डब्ल्यू.पी. क्रि.) संख्या 326/2020 और 14.08.2023 को एक आदेश पारित किया गया जो निम्नानुसार है: -

> *"पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और विविध आवेदन में की गई प्रार्थना का अवलोकन किया गया।*
>
> *यद्यपि इस न्यायालय ने पहले संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका को खारिज कर दिया था, सामान्य परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखी जा सकती थी। वर्तमान तथ्यों के अनुसार, हम देखते हैं कि पक्षकार पहले से ही संरक्षकता से संबंधित संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत एक कार्यवाही में क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालयों के समक्ष हैं। यदि स्थिति ऐसी है, तो आवेदक के लिए उक्त याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में अन्य आपत्तियों सहित आपत्तियाँ उठाना और उक्त कार्यवाही के समापन पर खुला होगा। यदि उस स्तर पर विदेशी न्यायालय के निर्णयों के आधार पर कोई और निर्देश प्राप्त करने हैं, तो आवेदक के पास उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सहित एक उपयुक्त याचिका दायर करने का विकल्प होगा।*

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

आवेदक को यह स्वतंत्रता देते हुए, स्पष्टीकरण मांगने वाला आवेदन निस्तारित किया जाता है।

एम.ए. संख्या 1753/2023 भी निस्तारित किया जाता है।"

4. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारिवारिक न्यायालय के समक्ष संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत दायर आवेदन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने यह खुलासा नहीं किया कि याचिकाकर्ता का पुत्र अमेरिकी नागरिक है। यह भी खुलासा नहीं किया गया कि वह जयपुर का सामान्य निवासी नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता का पुत्र रुद्र एक अमेरिकी नागरिक है और अमेरिकी न्यायालय द्वारा 30.07.2019 को अंतिम हिरासत आदेश पारित किया गया है, इसलिए पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी द्वारा 07.10.2023 को दायर आवेदन को अनुमति देने में गलती की है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 को पूरी तरह से पता था कि याचिकाकर्ता अमेरिका में रह रही है, फिर भी पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में उसने हैदराबाद का पता दिया। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पहली याचिका 17.11.2018 को दायर की थी, उसके बाद, उसने 13.01.2021 को दूसरी याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 19.05.2023 के आदेश द्वारा दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया और अंततः, पारिवारिक न्यायालय ने 07.10.2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्तियाँ उठाने की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सहित उपयुक्त याचिका दायर करने की भी अनुमति दी थी।

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

5. यह भी तर्क दिया गया है कि कॉर्पस- रुद्र अमेरिकी पासपोर्ट और भारतीय दूतावास द्वारा जारी वीजा पर भारत आए थे। वीजा की समाप्ति के बाद, वह एक अवैध प्रवासी बन गए हैं और एक अवैध प्रवासी को भारत सरकार द्वारा किसी भी समय निर्वासित किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि एक अवैध प्रवासी पर कई प्रतिबंध होते हैं और वह कई संवैधानिक उपचारों का लाभ उठाने का हकदार नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक नागरिक को उपलब्ध अधिकारों का भी हकदार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि न्यायालयों के शिष्टाचार के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए और जब कॉर्पस- रुद्र की अंतिम हिरासत के संबंध में एक सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तो जयपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय, जिसके पास संरक्षक और वार्ड अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार नहीं था, क्योंकि अधिनियम की धारा 9 के तहत एक रोक थी, को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। यह तर्क दिया गया है कि सक्षम अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश समय से पहले का था और केवल अमेरिकी न्यायालयों को ही कॉर्पस-रुद्र की हिरासत के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार था।

6. यह तर्क दिया गया है कि रुद्र की हिरासत एक अवैध हिरासत है और चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करके पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति उठाने की अनुमति दी है, इसलिए याचिकाकर्ता पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के साथ-साथ अपने बेटे की अभिरक्षा का दावा करने का भी हकदार है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता पर बच्चे को नुकसान पहुँचाने का कोई आरोप नहीं है और अभिरक्षा से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता के चरित्र के संबंध में कोई आरोप हो या यह कि वह बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा।

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

7. याचिकाकर्ता के वकील ने सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू एवं अन्य (1984) 3 एससीसी 698 का हवाला दिया है, जिसमें पिता आठ साल के बच्चे को भारत लाया था और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के ब्रिटेन का नागरिक होने के कारण बच्चे की कस्टडी मां को दे दी थी। एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरविंद एम. दिनशॉ एवं अन्य (1987) 1 एससीसी 42 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें नौ साल के बच्चे को पिता भारत लाया था और सुप्रीम कोर्ट ने मां को, जो अमेरिकी नागरिक थी, कस्टडी और अमेरिका में पिता से मिलने का अधिकार दिया था। वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2010) 1 एससीसी 174 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें न्यूयॉर्क राज्य के पारिवारिक न्यायालय ने बच्चे की संयुक्त कस्टडी का निर्देश दिया था। बच्चे को उसकी मां भारत लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मां को बच्चे को अमेरिका ले जाने और उसकी कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया था। सूर्या वदनन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2015) 5 एससीसी 450 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें 10 और तीन साल की दो बच्चियों को उसकी मां भारत लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मां को कस्टडी के मुद्दे पर यूके कोर्ट के मुख्य आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। लाहारी सखामुरी बनाम शोभन कोडाली (2019) 7 एससीसी 311 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें भी मां अपने सात साल के बेटे और पांच साल की बेटी को भारत लाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मां को अमेरिकी नागरिकों वाले बच्चों को अमेरिका वापस भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि चूंकि बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए इस मामले में अमेरिकी कोर्ट का विशेष अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने आगे कहा कि अमेरिकी न्यायालय ने पिता के पक्ष में आपातकालीन हिरासत का आदेश पारित करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा था। यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य (2020) 3 एससीसी 67 में, दो वर्षीय बालिका को उसकी माँ भारत लेकर आई थी और मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो भागों में निर्देश जारी किए:- पहला भाग- यदि माँ अमेरिका जाने और रहने को तैयार थी, तो उसे हिरासत के संबंध में अमेरिकी

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और दूसरा भाग- यदि माँ अमेरिका जाने और रहने को तैयार नहीं थी, तो माँ को बच्चे की हिरासत पिता या नाना को सौंपने का निर्देश दिया और पिता को निर्देश दिया कि वह बच्चे को अमेरिका ले जाने की व्यवस्था करें। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालयों के शिष्टाचार का सिद्धांत एक बहुत ही स्वस्थ सिद्धांत है और प्राथमिक और सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। श्री नीलांजन भट्टाचार्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य पर भी भरोसा किया गया है। (2021) 12 एससीसी 376, जिसमें भी एक तीन वर्षीय बालक, जो अमेरिकी नागरिक है, को उसकी मां भारत लेकर आई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे को उसके पिता के साथ अमेरिका वापस भेजने का निर्देश दिया था। वसुधा सेठी एवं अन्य बनाम किरण बनाम भास्कर एवं अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 43 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पांच वर्षीय बालक, जो अमेरिकी नागरिक है, को उसकी मां एक मेडिकल सर्जरी के लिए भारत लाई थी, लेकिन उसे वापस अमेरिका नहीं ले गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चे को अमेरिका वापस भेजने का निर्देश दिया था। राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 885 में, बारह साल की लड़की और आठ साल के लड़के को पिता द्वारा भारत लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पिता को बच्चों को अमेरिका वापस भेजने और ओहियो, अमेरिका के न्यायालय के आदेशानुसार साझा पालन-पोषण योजना का पालन करने का निर्देश दिया था। रोहित थम्मन गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 937 में, जिसमें ग्यारह साल के लड़के को मां द्वारा भारत लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पिता को हिरासत देने का निर्देश दिया था और बच्चे को पिता के साथ अमेरिका लौटने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बच्चा अमेरिकी पासपोर्ट के साथ प्राकृतिक रूप से अमेरिकी नागरिक था और इस प्रकार, पिता बच्चे की हिरासत पाने का हकदार था। अभय बनाम नेहा जोशी और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 1943 में वकील ने भारत संघ बनाम प्रणव श्रीनिवासन

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

सिविल अपील संख्या 5932/2023 पर भी भरोसा जताया है, जिसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 18.10.2024 को किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधान स्पष्ट और सरल हैं और इसे सामान्य और प्राकृतिक अर्थ दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह के क़ानून की व्याख्या करते समय न्यायसंगत विचार लाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि नागरिकता अधिनियम की धारा 5, 8 और 9 की भाषा स्पष्ट और सरल है और इसकी उदार व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि 1955 के अधिनियम की स्पष्ट भाषा का उल्लंघन करके विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति एक असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग की बात आने पर न्यायालय को बहुत सतर्क रहना होगा।

8. प्रतिवादियों के वकील, श्री वी.आर. बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री स्नेहदीप ख्यालिया की सहायता से, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पुरजोर विरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि जब भारत में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को संरक्षकता प्रदान करते हुए अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, तो याचिकाकर्ता के पास अब एकमात्र उपाय पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करना ही है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत पेशेवर थे। दोनों भारतीय नागरिक हैं और दोनों पक्षों का दूसरा विवाह 05.04.2014 को हैदराबाद में हुआ था।

9. यह तर्क दिया गया है कि जब शव भारत लाया गया था, उस समय अमेरिकी न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

एक निर्दयी पिता है। उसने प्रतिवादी संख्या 2 की उस समय की चीखों पर ध्यान नहीं दिया जब वह प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। याचिकाकर्ता ने शव के लिए भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड प्राप्त करने में प्रतिवादी संख्या 2 का समर्थन भी नहीं किया है। यह तर्क दिया गया है कि अधिवक्ता ने 03.01.2019 को पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई थी और पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के बाद पारित किया गया है, जबकि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश साक्ष्य दर्ज किए बिना पारित एकपक्षीय आदेश है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जयपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया था, उसे चुनौती नहीं दी गई है और आदेश अंतिम हो चुके हैं तथा यह आपत्ति कि पारिवारिक न्यायालय को संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत आवेदन स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई जा सकती।

10. यह तर्क दिया गया है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई हिरासत को अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता, ताकि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सके। यह भी तर्क दिया गया है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 5(4) के तहत, असाधारण परिस्थितियों में, केंद्र सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारी रुद्र के पक्ष में आदेश पारित कर सकती है। यह तर्क दिया गया है कि पारिवारिक न्यायालय ने बच्चे के कल्याण और इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि वह पिछले छह वर्षों से अपनी माँ के साथ रह रहा है।

11. यह तर्क दिया गया है कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा 30.07.2019 को अंतिम हिरासत आदेश पारित करने के बाद भी याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 06.11.2020 को खारिज कर दी गई थी, इसलिए अब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि एक नाबालिग बच्चे को

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

अवैध प्रवासी नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में रचिता फ्रांसिस जेवियर बनाम भारत संघ 2024 एससीसी ऑनलाइन डेल 3612 पर भरोसा किया गया है। आर्य सेल्वाकुमार प्रिया और अन्य बनाम संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी विदेश मंत्रालय और अन्य पर भी भरोसा किया गया है, जिसका फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु ने 21.03.2023 को किया था, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना था कि बच्चे को परेशान नहीं किया जा सकता राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 19.01.2023 को तय किए गए निर्णय का संदर्भ लें, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना था कि न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में तथ्यों के विवादित प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते। रोहन राजेश कोठारी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के विशेष अपील अनुमति (सीआरएल) संख्या 1722/2024, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 05.08.2024 को फैसला सुनाया था, का भी संदर्भ लें, जिसमें कहा गया था कि हिरासत के मुद्दे का समाधान सक्षम न्यायालय अर्थात पारिवारिक न्यायालय द्वारा किया जाना है और विदेशी न्यायालय के निर्णय को प्रभावी नहीं किया जाना है और प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे नाबालिग की माँ के साथ हिरासत में खलल न डालें।

12. यह भी तर्क दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अभिरक्षा का निर्णय लेने की प्राथमिक शर्त बच्चे का कल्याण है। चूँकि बच्चा पिछले छह वर्षों से माँ के साथ रह रहा है, इसलिए बच्चे का कल्याण माँ के साथ रहने में ही निहित है और इस संबंध में पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए रद्द नहीं कर सकता।

13. प्रतिवादियों के वकील ने प्रभात सिंह बनाम रूप कंवर डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 1415/2023 पर भी भरोसा जताया है, जिसका फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय ने 12.09.2023 को किया था, नित्या आनंद राघवन बनाम एन.सी.टी दिल्ली राज्य और अन्य।

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

आपराधिक अपील संख्या 972/2017 (एस.एल.पी. (सी.आर.एल) संख्या 5751/2016 से उत्पन्न) जिसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 03.07.2017 को किया था, निल रतन कुंडू और अन्य बनाम अभिजीत कुंडू सिविल अपील संख्या 4960/2008 (एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 1243/2008 से उत्पन्न) जिसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 08.08.2008 को किया था, संथिनी बनाम। विजया वेंकटेश (2018) 1 एस.सी.सी 1, रोक्सैन शर्मा बनाम अरुण शर्मा सिविल अपील संख्या 1966/2015 का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 17.02.2015 को किया, पुष्पा सिंह बनाम इंद्रजीत सिंह आपराधिक अपील संख्या 487/1988 का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 05.09.1988 को किया, अरविंद गोपाल कृष्ण चावड़ा बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य। रिट याचिका संख्या 20709/2015 का फैसला हैदराबाद के उच्च न्यायालय ने 21.10.2016 को किया, स्मृति मदन कंसागरा बनाम पेरी कंसागरा सिविल अपील संख्या 3559/2020 का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 28.10.2020 को किया, स्वप्रेरणा से अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 03/2021, पुलिस अधीक्षक व अन्य 2021 एस.सी.सी ऑनलाइन केर 6235, सुमित वर्मा बनाम ज्योति सैनी व अन्य 2023/पीएचएचसी/068670, समीर हंसा रामला बनाम कर्नाटक राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन कर 789, आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बनाम बी.रंगा रेड्डी (डी) एल.आर. व अन्य 2019 (9) एस.सी.जे 136, प्रतीक गुप्ता बनाम शिल्पी गुप्ता व अन्य 2018 (3) एस.सी.जे 178, कनिका गोयल बनाम दिल्ली राज्य एस.एच.ओ व अन्य के माध्यम से (2018) 9 एस.सी.सी 578, गीता हरिहरन व अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य (1999) 2 एस.सी.सी 228

14. हमने तर्कों पर विचार किया है।

15. जो तथ्य विवाद में नहीं है वह यह है कि कॉर्पस, रुद्र एक अमेरिकी नागरिक है, जिसका जन्म 27.06.2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

द्वारा जारी पासपोर्ट है। यह भी विवाद में नहीं है कि बच्ची भारतीय दूतावास द्वारा जारी वीजा पर 19.09.2018 को अपनी मां के साथ भारत आई थी। वीजा की समाप्ति की तिथि 04.03.2019 थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने 23.12.2018 की वापसी टिकट बुक की थी और 23.12.2018 को कॉर्पस के साथ अमेरिका लौटने वाला था। वापसी की तारीख से पहले, प्रतिवादी संख्या 2 ने 17.11.2018 को अभिभावक और वार्ड अधिनियम की धारा 7, 10 और 11 के तहत पारिवारिक न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने 27.12.2018 को फेयरफैक्स काउंटी, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस. कोर्ट) के किशोर एवं घरेलू संबंध जिला न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी और 30.07.2019 को उसके पक्ष में अंतिम हिरासत आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारिवारिक न्यायालय में दायर आवेदन को 07.10.2023 को स्वीकार कर लिया गया था।

16. जयपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि उसका बेटा अमेरिकी नागरिक है। उसने यह भी नहीं बताया है कि उसका बेटा आमतौर पर जयपुर में नहीं रहता है। उसने यह भी नहीं बताया है कि उसका बेटा वीज़ा पर भारत आया है जिसकी अवधि 04.03.2019 को समाप्त होने वाली है। उसने जानबूझकर याचिकाकर्ता का सही पता भी नहीं बताया, जबकि उसे पता था कि याचिकाकर्ता अमेरिका में रह रहा है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 ने पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर करते समय कोई स्पष्ट इरादे नहीं दिखाए।

17. संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 इस प्रकार है:-

> *"9. आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकारिता रखने वाला न्यायालय, यदि आवेदन नाबालिग के व्यक्तित्व की संरक्षकता के संबंध में है, तो इसे उस जिला*

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पास उस स्थान पर अधिकारिता है, जहां नाबालिग सामान्यतः निवास करता है।"

18. एक अमेरिकी नागरिक जिसे 04.03.2019 को समाप्त होने वाले वीज़ा पर भारत लाया गया है, उसे जयपुर का सामान्य निवासी नहीं कहा जा सकता है। 'सामान्य रूप से निवास करता है' अभिव्यक्ति एक अस्थायी निवास से अधिक कुछ दर्शाती है। भले ही इस तरह के अस्थायी निवास की अवधि काफी हो सकती है, वह स्थान जहाँ नाबालिग आमतौर पर रहता है और रहने की उम्मीद की जाती है लेकिन विशेष परिस्थितियों के लिए वह स्थान माना जा सकता है जो उस स्थान को दर्शाता है जहाँ नाबालिग आमतौर पर रहता है जैसा कि जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम विमला गुप्ता एआईआर 2003 ऑल 317 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। यह रूचि माजू बनाम संजीव माजू एआईआर 2011 एससी 1952 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत अदालत के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए एकान्त परीक्षण नाबालिग का 'सामान्य निवास' है। किसी विशेष स्थान पर मजबूरी में अस्थायी रूप से निवास करना, चाहे वह कितने भी लंबे समय तक क्यों न रहा हो, 'सामान्यतः निवास' का स्थान नहीं कहा जा सकता। 'सामान्यतः निवास' शब्द का अर्थ नाबालिगों का आकस्मिक या वास्तविक निवास नहीं है।

19. हमारा विचार है कि 'सामान्यतः निवास करता है' शब्द समान नहीं हैं और इनका अर्थ "आवेदन के समय निवास" के समान नहीं है। विधायिका ने 'सामान्यतः निवास करता है' शब्दों का प्रयोग संभवतः उस शरारत से बचने के लिए किया है जिसमें नाबालिग को गुप्त रूप से किसी अन्य स्थान पर ले जाकर मजबूरी में उस स्थान पर रखा जाता है, और फिर नाबालिग की अभिरक्षा के लिए आवेदन दायर किया जाता है। आवेदन के समय निवास क्षेत्राधिकार का निर्णायक नहीं है।

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

हमारा विचार है कि एक बच्चा जो अमेरिकी नागरिक है और जो भारतीय दूतावास द्वारा जारी वीज़ा पर सीमित अवधि के लिए आया है, उसे जयपुर का सामान्यतः निवासी नहीं कहा जा सकता।

20. यह सही है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है और इस न्यायालय को पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्यता की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत आवेदन की स्वीकार्यता के संबंध में इस न्यायालय के पारिवारिक न्यायालय में रिट अधिकारिता के अंतर्गत मुद्दा उठाने की अनुमति दी है, इसलिए हम यह मानने को बाध्य हैं कि जयपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय को हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 7, 10 और 11 के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक प्रतिबन्ध होने के कारण और जिस बच्चे के संरक्षकत्व के लिए आवेदन किया गया था, वह एक अमेरिकी नागरिक था जो सीमित अवधि के वीज़ा पर भारत आया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः कॉर्पस सामान्यतः जयपुर में नहीं रहता है और जयपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय को बच्चे के संरक्षकत्व के संबंध में अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। परिस्थितियों के संबंध में, हमारा यह भी मानना है कि याचिकाकर्ता को जयपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का निर्देश देना अनुचित होगा, क्योंकि इससे कार्यवाही लंबी खिंच जाएगी और सक्षम अमेरिकी न्यायालय द्वारा 30.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में और विलंब होगा।

21. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिकी न्यायालय द्वारा 30.07.2019 को दिया गया अंतिम हिरासत आदेश है। यह आदेश जयपुर के पारिवारिक न्यायालय द्वारा 07.10.2023 को दिए गए आदेश से पहले का था और अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित अंतिम हिरासत आदेश याचिकाकर्ता द्वारा पारिवारिक न्यायालय के समक्ष रखा गया था। न्यायालयों के शिष्टाचार के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। कॉर्पस एक अमेरिकी नागरिक था और अमेरिकी न्यायालय कॉर्पस के संबंध में

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

हिरासत आदेश पारित करने के लिए सक्षम था। पारिवारिक न्यायालय, जिसके पास आवेदन पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, ने अमेरिकी न्यायालय, जो कि सक्षम न्यायालय था, के निर्णय को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया कि आदेश एकतरफा पारित किया गया था। हमारा यह सुविचारित मत है कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पारिवारिक न्यायालय द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए था।

22. अब हम शिशु के सर्वोत्तम कल्याण के प्रश्न पर आते हैं। रुद्र एक अमेरिकी नागरिक है जिसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। वह भारतीय दूतावास द्वारा जारी वीज़ा पर भारत आया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(बी) के अनुसार, अवैध प्रवासी का अर्थ है एक विदेशी जो वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत अवधि से अधिक समय तक भारत में रहता है। रुद्र, जो एक विदेशी है, वैध पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है और अनुमत अवधि से अधिक समय तक भारत में रहता है, एक अवैध प्रवासी है।

23. प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि रुद्र को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 5 उन व्यक्तियों को भी भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण की अनुमति देती है जो अवैध प्रवासी नहीं हैं। इस प्रकार, धारा 5 के तहत भारत में अवैध प्रवासी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने पर प्रतिबंध है। नागरिकता अधिनियम की धारा 5(4) भी नाबालिग बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है जो विशेष परिस्थितियों में अवैध प्रवासी नाबालिग को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता हो। प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

प्राप्त करने में सहायता नहीं की, भी मान्य नहीं है, क्योंकि भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड धारक भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16, 58, 66, 124, 217 के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 5, 5ए और धारा 6 के तहत भारत के नागरिक को प्रदत्त अधिकारों का हकदार नहीं है तथा संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए भी हकदार नहीं है।

24. कॉर्पस, रुद्र न तो ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ़ इंडिया कार्ड धारक है और न ही उसके पास भारत में रहने का कोई अधिकार है और अवैध प्रवासी की परिभाषा के अनुसार, वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद, वह एक अवैध प्रवासी बन गया है। एक अवैध प्रवासी बच्चे के रूप में, रुद्र भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कई संवैधानिक अधिकारों का हकदार नहीं है और उसे हमेशा एक अवैध प्रवासी ही माना जाएगा और उसे द्वितीय श्रेणी का नागरिक भी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ़ इंडिया कार्ड भी नहीं है। इस प्रकार, बच्चे का कल्याण उसके जन्मस्थान यानी संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने में है, जहाँ उसे सभी अधिकार उपलब्ध होंगे।

25. प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि याचिकाकर्ता एक कठोर व्यक्ति है और प्रसव के समय उसने अपनी पत्नी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 की देखभाल अस्पताल में नर्सों ने की थी और याचिकाकर्ता, जिसे कोई चिकित्सीय ज्ञान नहीं है, को अस्पताल में प्रसव पीड़ा के समय पत्नी की चेतावनी पर ध्यान न देने के लिए दोषी नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादी संख्या 2 ने दुर्व्यवहार, मारपीट या किसी ऐसे आचरण का कोई आरोप नहीं लगाया है जिससे याचिकाकर्ता को बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार न हो। याचिकाकर्ता, जो एक पिता है, लंबे समय से विदेश में रह रहा है और उसके पास

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

अपने बेटे की देखभाल करने के सभी साधन हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने यह प्रस्ताव दिया कि वह अपनी पत्नी को अमेरिका ले जाने के लिए तैयार है, उसके लिए एक अलग स्थान पर रहने की व्यवस्था करेगा ताकि उसे यह आश्वासन मिल सके कि बच्चे की उचित देखभाल हो रही है। याचिकाकर्ता इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2, उसकी पत्नी के सभी खर्चे वहन करने को तैयार है।

26. लहरी सखामुरी (सुप्रा) के मामले में, जहाँ बच्चा अमेरिकी नागरिकता रखता था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में अमेरिकी न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र है और उसने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा है। न्यायालय ने उस माँ को, जो अपने सात वर्षीय बेटे और पाँच वर्षीय बेटी को भारत लाई थी, बच्चों को अमेरिका वापस भेजने का निर्देश दिया। यशिता साहू (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालयों के शिष्टाचार का सिद्धांत एक अत्यंत स्वस्थ सिद्धांत है और प्राथमिक एवं सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। न्यायालय ने दो भागों में निर्देश जारी किए, पहला, यदि मां अमेरिका जाकर रहने को तैयार हो, तो उसे हिरासत के संबंध में अमेरिकी न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया और दूसरा, यदि मां अमेरिका जाकर रहने को तैयार न हो, तो मां को बच्चे की हिरासत उसकी दादी के पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया और पिता को निर्देश दिया गया कि वह बच्चे को अमेरिका ले जाने की व्यवस्था करे। रोहित थम्मन गौड़ा (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि बच्चा अमेरिकी पासपोर्ट वाला एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक था, इसलिए अमेरिका में रहने वाला पिता बच्चे की हिरासत पाने का हकदार है।

27. प्रतिवादियों के वकील द्वारा उद्धृत निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं। रोहन राजेश कोठारी बनाम राज्य (सुप्रा), जिसमें यह माना गया था कि हिरासत के मुद्दे को पारिवारिक न्यायालय द्वारा हल किया जाना चाहिए, लागू नहीं होगा क्योंकि बच्चा आमतौर पर जयपुर में नहीं रहता है और जयपुर/भारत के न्यायालयों को उसके हिरासत आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

वर्तमान मामले में, रुद्र एक अमेरिकी नागरिक है और पारिवारिक न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश से बहुत पहले सक्षम अमेरिकी न्यायालय से अंतिम हिरासत आदेश है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचिकाकर्ता अपने बच्चे की हिरासत पाने का हकदार है और बच्चे का कल्याण याचिकाकर्ता के पास है। भारत में, कॉर्पस को एक अवैध प्रवासी माना जाएगा और अधिकारियों की इच्छानुसार उसे कभी भी निर्वासित किया जा सकता है। उसके पास भारत के नागरिक का दर्जा नहीं होगा और उसके भारत में रहने पर कई शर्तें होंगी।

28. परिणामस्वरूप, हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करना उचित समझते हैं। याचिकाकर्ता बंदी प्रत्यक्षीकरण की अभिरक्षा का हकदार है। प्रतिवादी संख्या 2 के पास दो विकल्प हैं।

<u>विकल्प संख्या I.</u> रुद्रा के साथ अमेरिका लौटना और अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.07.2019 के अंतिम हिरासत आदेश का पालन करना और यदि वह याचिकाकर्ता की लागत और खर्च पर अमेरिका में रहना चाहती है।

<u>विकल्प क्रमांक II</u>. (क) यदि वह अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता के माता-पिता को सौंप दी जाए ताकि उसे अमेरिका ले जाया जा सके।

(ख) याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 से सूचना प्राप्त होने के बाद, उस समय कॉर्पस को कॉल/वीडियो कॉल करने की अनुमति देगा जो कॉर्पस के लिए सबसे उपयुक्त हो।

(ग) जब भी याचिकाकर्ता कोष के साथ भारत की यात्रा पर आएगा, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी संख्या 2 को कोष तक पहुंच प्राप्त हो और भारत आने की योजना बनाने से पहले, वह प्रतिवादी संख्या 2 को अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करेगा।

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)

29. यदि हिरासत याचिकाकर्ता के माता-पिता को सौंप दी जाती है, तो याचिकाकर्ता के माता-पिता हिरासत लेने के चार सप्ताह के भीतर शव को अमेरिका ले जाएंगे, रुद्र।

30. प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के वकील को अपनी इच्छा बताए और रुद्र के दस्तावेज याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता के माता-पिता को सौंप दे, ताकि अमेरिका के लिए हवाई जहाज के टिकट खरीदने में सुविधा हो सके।

(शुभा मेहता),जे (पंकज भंडारी),जे

चंदन /

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को दोपहर 12:27:20 बजे डाउनलोड किया गया)